

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक—वा०क०अधि०/पू०पी०ग०) / 19, लखनऊ : दिनांक ०९ : जनवरी—2019,

—:: आदेश ::—

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली—2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह फरवरी—2019 में दिनांक 19.02.19 से 21.02.19 तक पूर्ण पीठ से सम्बन्धित लम्बित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर पूर्ण पीठ गठित की जाती है।

गठित पूर्ण पीठ में मेरे साथ श्री नरेन्द्र कुमार—IV, एच०जे०एस०, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—प्रथम, लखनऊ व श्री अम्बेश श्रीवास्तव, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—द्वितीय इलाहाबाद समिलित होंगे।

उक्त गठित पूर्ण पीठ में मुख्यालय पर लम्बित अपीलों के अतिरिक्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—प्रथम व पीठ—द्वितीय, लखनऊ में पूर्ण पीठ से सम्बन्धित लम्बित अपीलें भी सुनवाई/निस्तारण हेतु नियत की जायें।

तदनुसार सम्बन्धित को सूचित किया जाये।

ह०—०९.०१.१९

(प्रेम कला सिंह)

एच०जे०एस०,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन — वा०क०अधि०/पू०पी०ग०/६७ /2019, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1—सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—प्रथम / द्वितीय, लखनऊ।
- 2—सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—द्वितीय, इलाहाबाद।
- 3—कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4—मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्पयूटर/नाजिर) मुख्यालय।
- 5—सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव।

माननीय अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से,

श्री निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।